

शासनादेश संख्या— 20 / 2024 / सा—3—276 / दस—2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 11. जुलाई, 2024 का
संलग्नक—

विकल्प पत्र

1. नाम — मोहम्मद कमरुज़ज़मा खान
2. वर्तमान पदनाम — अपर जिला एवं सेशन्स जज/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं 3,
लखनऊ HJS
3 वेतनमान — 144840—194660
4. वर्तमान विभाग का नाम— न्याय विभाग (नियुक्ति विभाग)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का
नाम— लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उ0प्र0
6. विज्ञप्ति की तिथि— 15, नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि— 26, मई, 2006
8. योगदान की तिथि— 15, जून, 2006
9. जन्म तिथि— 05, अक्टूबर, 1967
10. सेवानिवृत्ति की तिथि— 31, अक्टूबर, 2007

मैं मोहम्मद कमरुज़ज़मा खान पुत्र श्री स्व० हाफिज़ महबूब खान शासनादेश
संख्या—14 / 2024 / सा—3—243 / दस—2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी
पेंशन योजना ()/ नवीन पेंशन योजना () में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह
विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम—मोहम्मद कमरुज़ज़मा खान,
पदनाम— अपर जिला एवं सेशन्स जज/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं 3, लखनऊ

घोषणा पत्र

मैं मोहम्मद कमरुज़ज़मा खान, पदनाम— अपर जिला एवं सेशन्स जज लखनऊ यह घोषणा करता हूँ
कि उपरोक्त क्रम संख्या—01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य
छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम—मोहम्मद कमरुज़ज़मा खान,
पदनाम— अपर जिला एवं सेशन्स जज/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं 3, लखनऊ

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री / श्रीमती.....पदनाम.....को उपरोक्त
तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ()/ नवीन पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग
की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है और इस पर हस्ताक्षर की अवश्यकता नहीं।